

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245112
SG-DL-E-11042023-245112असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]	दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 09
No. 121]	DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945	[N. C. T. D. No. 09

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग
(भूमि अधिग्रहण शाखा)
अधिसूचना
दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

फा. सं. 8(2)/2015/एल एंड बी/एलए/155.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2740(अ) एवं दिनांक 21 जुलाई 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2004(अ) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन एवं अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा नंगली रजापुर के राजस्व गाँव, दक्षिण पूर्व राजस्व जिले में सराय काले खाँ से आरंभ होकर मयूर विहार (बारापूला फेस-III) तक बारापूला नाला के ऊपर एलिवेटेड सड़क के निर्माण हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन को पूर्ण करने के लिए दिनांक 13 जून, 2107 की अधिसूचना फा. सं. 8/2/9/2015/एल एंड बी/एलए/2373 के द्वारा चिह्नित मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 को सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई के रूप में निर्दिष्ट करते हैं।

मानव पारिस्थितिकी विद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, लोथियन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गम्भीर, उप सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(LAND ACQUISITION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2023

F. No. 8(2)/2015/L&B/LA/155.—In exercise of the powers conferred by Sub Rule (1) of Rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact, Assessment and Consent) Rules, 2014, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2740(E) dated 21st October 2014, and S.O. 2004(E) dated 21st July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the School of Human Ecology, Ambedkar University Delhi, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide Notification No. F. 8/2/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13th June 2017 to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment report for construction of elevated road over Barapullah Nallah starting from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar, (Barapullah phase III), in revenue village of Nagli Razapur, South East Revenue District.

The School of Human Ecology, Ambedkar University Delhi, Lothian Road, Kashmere Gate, Delhi-110006 shall carry out the Social Impact Assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of publication of this notification in the official gazette.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GAMBHIR, Dy. Secy.